

वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी
अनुमति-पत्र

दिनांक 28.10.13

यह अनुमति केवल 30 प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मित्त्व या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

अर्थात् यह अनुमति किसी के मिलित्व या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव नहीं रखेगी।
निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती / श्री विहवल दास अग्रवाल एवं
अज्ञात कुमार अग्रवाल पुत्रागण श्री जीके बिहारी लाल तथा श्री अनन्द कुमार अग्रवाल
पिता/पति का नाम श्री रवी अग्रवाल कुमार आरजी संख्या 1.9 (अ) मौजा लालपुर जिला
बाई में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के चिह्नित भवन
चित्र अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।
उपाध्यक्ष

दिनांक 20



नगर अभियन्ता (भवन)
विकास प्रौद्योगिकी वाराणसी ।
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

नोट : 1- यह स्वीकृत पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिये है। यदि इमारत आज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञायाम इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2. इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झाँप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3. मकान निर्माण से यदि नाली सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिये। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5. प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6. यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायेगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।
7. यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंस कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

शर्तें :-

1. पक्ष को प्रश्नगत स्थल पर 17 फीट लगाना होगा। पक्ष को स्थल पर सौलर वाटर हीटर की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
2. आपको मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पत्र दि० 04.03.13 द्वारा निर्गत की गयी अनापत्ति में उल्लिखित शर्तों का शत-प्रतिशत अनुपालन करना होगा।
3. शासनादेश सं०-570/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001(आ०४०) दिनांक 03 फरवरी, 2001 एवं शासनादेश सं०-772/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001(आ०४०) दिनांक 13 फरवरी, 2001 के अनुसार भूकम्परोधी व्यवस्थाओं को पूर्ण करना होगा।
4. आपको स्थल पर सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने पर नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विन्त पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन अथवा भवन के किसी अंश का उपयोग/उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।
5. स्ट्रिक्ट फ्लोर के नीचे बेसमेन्ट का प्रस्ताव दिया गया है। ऐसी दशा में बेसमेन्ट की छत भूतल के लेवल में होगी तथा उसमें मैकेनिकल वेंटिलेशन की व्यवस्था प्राविधान किया जाना अनिवार्य है तथा स्लैब का स्ट्रक्चर डिजाइन आदि फायर टेण्डर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार होगी।
6. भवन में दवागता सुरक्षा व्यवस्था की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियर की होगी।
7. भविष्य में यदि स्वामित्व सम्बन्धित कोई विवाद/तथ्य उजागर होता है जो सम्पूर्ण निर्माण की आवेदक की होगी एवं मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
8. आपको मानक के अनुसार रेन वाटर हार्डस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
9. भूकम्परोधी निर्माण हेतु प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग निर्माण की स्ट्रक्चर डिजाइन, अमिलेख तथा शासनादेश के अनुक्रम में प्रमाण पत्र भू-स्वामित्व/बिल्डर/आर्किटेक्ट तथा स्ट्रक्चरल इंजीनियर के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रस्तुत करना होगा।
10. निर्माण के दौरान बेसमेन्ट खुदाई हेतु सुरक्षा के सभी उपाय किये जायेंगे तथा स्ट्रक्चर इंजीनियर के पर्यवेक्षण में कराया जायेगा।
11. पक्ष को प्रस्तावित मानचित्र में दर्शित सड़क विस्तार हेतु भूमि छोड़ने के उपरान्त स्वीकृत मानचित्र के अनुसार स्थल पर निर्माण करना होगा।
12. पक्ष को शासनादेश संख्या-3338/आ-8-1-11-80विधि/2010 दिनांक 26.09.11 के परिपेक्ष में विकासकर्ता को फ़ास साव्सीडाइजेशन के माध्यम से ई०डब्ल्यूएस० एवं एल०आई०जी० श्रेणी के भवनों के निर्माण की अनुमति देय है। अतः पक्ष को उक्त शासनादेश में इंगित समस्त विन्दुओं का पालन एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। शासनादेश का उल्लंघन करने की दशा में पक्ष कोई विधिक कार्यवाही नहीं करेगा।
13. पक्ष को स्ट्रक्चर डिजाइन को आई०आई०टी० स्कूल की विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य निर्देशित तकनीकी संस्थान के स्ट्रक्चर इंजीनियर के प्रोफेसर से प्रतिहस्ताक्षरित करना होगा।
14. भवन में अनुवर्तित तल पर सेंटबैक में कमरों या प्लेट्स से कोई पहुँच नहीं होगी।
15. अग्नि शमन विभाग की अनापत्ति वांछित है। उक्त अनापत्ति प्राप्त होने पर अनापत्ति में वर्णित शर्तों का पालन निर्देशानुसार स्थल पर पक्ष/मानचित्र प्रस्तावक को अनिवार्य रूप से करना होगा।
16. बेसमेन्ट की प्रस्तावना जो बिल्डिंग लाईन से बाहर प्रस्तावित है, उसमें स्लैब प्रस्तावित स्ट्रक्चर डिजाइन आदि फायर टेण्डर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार होगा।
17. भूखण्ड का क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर से अधिक है, के सम्बन्ध में मलवा अपने भूखण्ड पर रखेगा।
18. पक्ष को नियमानुसार दिये गये शपथ पत्र एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करनी होंगी।

अगर अधिपति (नगर)

विकास अधिकारी, नगरपालिका